FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0006 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/01/2024 19:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 08/01/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/01/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/01/2024 19:26:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** Rail magra, Rajsamand

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** Shanti lal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Badri Lal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Lapsya, Kuwriya, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Lapsya, Kuwriya, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9799122036

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Ashok Kumar Sharma		पिता:Jagdish chandra Sharma	1. Mela Ground,Rail magra,Rajsamnd,RAJSAMAND, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री शान्तिलाल पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जी, जाति-जाट, उम्र-30 साल, निवासी गांव लापस्या, तहसील व पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द ने एक टाईप शुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि" मेरे गांव लापस्या में मेरे व मेरी मम्मी कज्जुबाई के नाम पर कृषि जमीन हैं। इस कृषि जमीन पर स्थित कुएं पर विद्युत कनेक्शन जो मेरे दादाजी स्व. श्री नगजीराम जी के नाम पर हैं। मेरे दादाजी की मृत्यु दिनांक 18.08.2008 को हुई थी जिसके बाद दिनांक 19.03.2009 को मेरे पिताजी स्व. श्री बद्रीलाल जी की मृत्यु हुई । मेरी कृषि जमीन पर स्थित कुएं पर लगे विद्युत कनेक्शन को मेरे दादाजी के स्थान पर मेरे नाम पर स्थानान्तरण करवाने के लिए दिनांक 04.10.2022 को सहायक अभियन्ता, अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा कार्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति कर फाईल लगाई थी जिसकी रसीद भी प्राप्त की थी। मेरे द्वारा विद्युत कनेक्शन स्थानान्तरण हेतु फाईल व दस्तावेज जमा करवाने के 01 साल बाद भी विद्युत कनेक्शन मेरे नाम पर स्थानान्तरित नहीं हुआ जबकि मेरे द्वारा बिजली विभाग से रसीद भी कटवा दी हैं लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ हैं। इस कार्य हेतु मैं, एईन ऑफिस अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा में जाकर श्री अशोक शर्मा से मिला तो उसने कहा कि बार-बार एईन ऑफिस के चक्कर काटने से तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम मुझे 2,000 रूपये दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। एईन कार्यालय रेलमगरा पर कार्यरत श्री अशोक शर्मा एक भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो बिना रिश्वत राशि लिये किसी का भी काम नहीं करता हैं। एईन कार्यालय रेलमगरा के कर्मचारी श्री अशोक शर्मा मेरे जायज कार्य को करने के लिए मुझसे रिश्वत राशि 2,000 रूपये की अनुचित मांग कर रहे हैं। मैं श्री अशोक शर्मा को रिश्वत राशि 2,000 रूपये नहीं देना चाहता हुं। मैं उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हंु। मेरे व श्री अशोक शर्मा के बीच में कोई आपसी लेनदेन बकाया नहीं और ना ही कोई आपसी रंजीश हैं। अतः कानूनी कार्यवाही करावें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम द्वारा परिवादी श्री शांतिलाल से उसकी ओर से पेश की गई टाईप शुदा रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादी से दरियाप्त की तो परिवादी ने बताया कि मेरे दादाजी स्व. श्री नगजीराम जी के नाम से मेरे गांव लापस्या में स्थित कृषि भूमि पर लगे विद्युत कनेक्शन को मेरे नाम पर स्थानान्तरण करने की एवज में एईन ऑफिस अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा के कर्मचारी श्री अशोक शर्मा मुझसे 2,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। विद्युत कनेक्शन स्थानान्तरण के लिए मैने सारे दस्तावेजों की पूर्ति कर फाईल जमा करवाये हुए एक साल से भी अधिक अवधि गुजर चुकी हैं लेकिन मेरा काम आज दिनांक तक नहीं हो पाया हैं। श्री अशोक शर्मा एक भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो बिना रिश्वत राशि लिये मेरा काम नहीं करेगा। मैं अपने जायज कार्य के लिये श्री अशोक शर्मा को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। रिश्वत राशि देते हुए पकडवाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन की कार्यवाही परिवादी एवं आरोपी श्री अशोक शर्मा के मध्य ए.ई.एन. कार्यालय अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा में दिनांक 03.01.2024 को करवायी गयी तो श्री अशोक शर्मा ने परिवादी श्री शांतिलाल को एक पर्ची पर उनकी स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर ग्राम पंचायत की सरजरा रिपोर्ट, शपथ पत्र एवं सहमति पत्र तैयार करवा साथ में लाने के लिए कहा और रिश्वत राशि के सम्बन्ध में परिवादी श्री शांतिलाल से कहा कि "तुम थोडे बहुत तेरी इच्छा हैं जो ले आना और कोई कम-ज्यादा होगा तो, मैं बोल दुंगा। रिश्वत राशि मांग स्पष्ट नहीं होने से दिनांक 04.01.2024 को पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही की गई तो आरोपी श्री अशोक शर्मा द्वारा परिवादी श्री शांतिलाल से 2,000 रूपये रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.01.2024 को समय 11.45 ए.एम पर कार्यालय के हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित निकालकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मन्शाराम द्वारा ब्यूरो जाब्ता हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण 117, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं. 162, श्री भंवरदान कानि. नं. 414, श्री किशनाराम कानि. नम्बर 404 तथा श्रीमती तारा म0 कानि0 नं. 259 को मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी साथ में लेकर मय प्राईवेट वाहन के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा रेलमगरा की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए, मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जगदीश चन्द्र सहायक विकास अधिकारी, श्री ललित राजवानी कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय

सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 मय चालक श्री मनोज कुमार कानि0 नं0 23 के कस्बा रेलमगरा की तरफ रवाना हो समय करीबन 12.30 पीएम पर कस्बा रेलमगरा में रेलमगरा से नाथद्वारा की ओर जाने वाले आम रास्ते पर पहुंचे जहां पर सडक के किनारे पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री शान्तिलाल अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री शान्तिलाल ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 04 नोट कुल 2,000/-रूपये प्रस्तुत किये। सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर ब्यूरो जाप्ता की श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 को उसके पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी में से फिनोफ्थलीन पाउडर निकाल कर परिवादी श्री शान्तिलाल द्वारा पेश समस्त नोटो के दोनों ओर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री शान्तिलाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री ललित राजवानी कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटो को परिवादी श्री शान्तिलाल के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से रखवाये जाकर परिवादी श्री शान्तिलाल तथा स्वतंत्र गवाहान श्री जगदीश चन्द्र सहायक विकास अधिकारी व श्री ललित राजवानी कनिष्ठ सहायक के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत करवाया। ततपश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 को अपने पास ही सुरक्षित रखने की हिदायत कर ए0सी0बी0 कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना किया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री शान्तिलाल से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवा परिवादी श्री शान्तिलाल को उसकी निजि मोटर साईकिल से संदिग्ध श्री अशोक शर्मा से रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता करने हेतु मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के ए.ई.एन. कार्यालय अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा की तरफ रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण 117, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं. 162, श्री भंवरदान कानि. नं. 414, श्री किशनाराम कानि. नम्बर 404 को मय प्राईवेट वाहन के ए.ई.एन. कार्यालय रेलमगरा की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए, मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जगदीश चन्द्र सहायक विकास अधिकारी, श्री ललित राजवानी कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 मय चालक श्री मनोज कुमार कानि0 नं0 23 के परिवादी के पीछे-पीछे मुकिम स्थल से रवाना हो कार्यालय अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा के बाहर पहुंचा। परिवादी श्री शान्तिलाल अपनी निजी मोटर साईकिल से ए.ई.एन. कार्यालय रेलमगरा के अन्दर गया और हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण सरकारी/प्राईवेट वाहन को रोड के किनारे साईड में खडा कर अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे व अग्रिम निर्देश के इन्तजार में ए.ई.एन. कार्यालय रेलमगरा के बाहर मुकिम रहे तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 व कानि0 श्री भंवरदान नम्बर 414 को ए.ई.एन. कार्यालय के परिसर में जाकर परिवादी का निर्धारित ईशारा आने व अग्रिम निर्देश तक अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाये रखे एवं कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 को रिश्वत राशि लेनदेन के पश्चात परिवादी द्वारा फोन कर निर्धारित ईशारा करने के तुरन्त बाद मन् पुलिस निरीक्षक को फोन करने हेतु निर्देशित कर ए.ई.एन. कार्यालय रेलमगरा परिसर की तरफ रवाना किया। ततपश्चात समय करीबन 01.30 पी.एम. पर परिवादी श्री शांतिलाल जाट द्वारा निर्धारित ईशारा मोबाईल से कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, हमराह दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जगदीश चन्द्र व श्री ललित राजवानी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं0 117, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414, श्री किशनाराम कानि0 नं0 404 के कार्यालय सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा परिसर में तेज-तेज कदमों से प्रवेश किया। जहां पर परिवादी श्री शांतिलाल जाट उक्त कार्यालय के कमरा नं. 03 (संस्थापन शाखा) के दरवाजे पर ही खडा मिला जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को उक्त कमरा नं. 03 (संस्थापन शाखा) में बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर अपने पास रखे डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख उक्त कमरा नं. 03 (संस्थापन शाखा) में प्रवेश किया तो परिवादी श्री शांतिलाल ने पुनः उक्त कमरे में कुर्सी पर बैठे हुये उस व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि ''यह ही अशोक कुमार शर्मा है जिसने मुझसे अभी-अभी 2000 रूपये रिश्वत के रूप में लेकर इसके पहने हुये जैकेट की बायीं जेब में रखे है।'' तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान जाप्ता ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए उक्त आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री अशोक कुमार शर्मा इलेक्ट्रीशियन (द्वितीय) कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रेलमगरा जिला राजसमन्द होना बताया। आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री शांतिलाल जाट से 2000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है और मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हुं। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर दिनाक 03.01.2024 व 04.01.2024 को परिवादी श्री शांतिलाल जाट व उक्त आरोपी श्री अशोक कुमार के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व ट्रेप कार्यवाही के

दौरान वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई रिकॉर्डशुदा वार्ता को आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा को सुनाया गया। तत्पश्चात आरोपी अशोक कुमार शर्मा को उक्त मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि ''मैनें शांतिलाल जाट से उसके कनेक्शन की फाईल को कन्वर्ट कराने के लिये उससे 2000 रूपये लिये हैं'' जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा को परिवादी शांतिलाल से प्राप्त किये गये उक्त रिश्वत राशि 2000 रूपये से संबंधित किसी भी रसीद या वैध दस्तावेज के संबंध में पुछा गया तो आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा ने उक्त 2000 रूपये रिश्वत राशि से संबंधित कोई भी रसीद काटी हुई नहीं होना बताया तथा इसी क्रम में परिवादी शांतिलाल ने भी अशोक कुमार शर्मा द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान प्राप्त किये गये रिश्वत राशि 2,000 रूपये के संबंध में कोई भी रसीद नहीं देना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा को दिनंाक 04.01.2024 को हुई मांग सत्यापन वार्ता अनुसार परिवादी श्री शांतिलाल जाट से प्राप्त किये गये उक्त रिश्वती राशि 2000 रूपये में से 1500 रूपये संबंधित एक्सईएन व 500 रूपये संबंधित बाबु को देने के संबंध में पुछा तो आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा ने रिश्वती राशि 2000 रूपये अपने लिये ही लेना बता किसी भी एक्सईन साहब को व बाबु को कोई रूपये नहीं देना बताया तथा गलती होना बता कर क्षमा याचना करने लगा। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 से सरकारी कार (स्विफ्ट डिजायर) में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं. 117 से ही टे्प बॉक्स मंे से दो साफ कांच के गिलासों में उक्त कमरा नं. 03 (संस्थापन शाखा) के बाहर ही रखे हुये पानी के केम्पर में से अलग-अलग साफ पानी भरवाकर मंगवाया तथा उक्त दोनों कांच के गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितगण को दिखाया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग भी हल्का गुलाबी हुआ जिसे भी उपस्थितगण को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चन्द्र कुमावत से लिवाई गई तो श्री अशोक कुमार शर्मा के पहनी हुई मैहरून रंग की जैकेट के बायीं जेब से कुछ रूपये मिले। जिन्हंे दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500-500 के 04 नोट कुल राशि 2000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गयेः-

क्रम संख्या	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट	OEV 506865
2	500 रूपये का एक नोट	8GL 911431
3	500 रूपये का एक नोट	9LA 782684
4	500 रूपये का एक नोट	5DA 890288

उक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा को परिवादी श्री शांतिलाल जाट द्वारा प्रस्तुत कृषि विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन से संबंधित पत्रावली व दस्तावेज पेश करने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा ने अपनी ही टेबल पर रखी अन्य पत्रावलीयों के बीच से एक पत्रावली कृषि विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन से संबंधित निकाल मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की। जिसका अवलोकन किया गया तो पाया कि उक्त कृषि विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन से संबंधित पत्रावली में आवेदनकर्ता श्री शांतिलाल जाट द्वारा दिनांक 04.10.22 को अपने दादा जी स्व. श्री नगजीराम जाट के नाम से जारीशुदा कृषि विद्युत कनेक्शन को दादाजी व पिताजी की मृत्यु के पश्चात अपने नाम

जिन्हें बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई तथा श्री अजय मीणा कनिष्ठ अभियन्ता ने जरिये कार्यालय सहायक अभियन्ता के पत्र क्रमांक 4242 दिनांक 08.01.2024 से अवगत कराया कि ''श्री शान्तिलाल पुत्र श्री बद्रीलाल जाट निवासी लापस्या तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द द्वारा अपने दादाजी के नाम से ग्राम लापस्या में कृषि विद्युत कनेक्शन की नाम परिवर्तन की पत्रावली दिनांक 04.10.2022 को लगाई थी जिसकी एप्लीकेशन फीस राशि 75 रूपये जिसके रसीद क्रमांक 95/120299 दिनांक 04.10.2022 होकर रसीद कटी हुई है। इसके अलावा उक्त श्री शान्तिलाल जाट के नाम से ऑफलाईन व ऑनलाईन डिमाण्ड राशि की कोई रसीद कटी हुई नहीं है। संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो ही स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित जाप्ता के समक्ष आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा के पहनी हुई मैहरून रंग की जैकेट के बायीं जेब से 2000 रूपये बरामद होने से उक्त पहनी हुई मैहरून रंग की जैकेट को ससम्मान खुलवाकर उक्त मैहरून रंग की जैकेट की बायीं जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु हैड कानि0 श्री गोविन्दनारायण नं0 117 से ही ट्रेप बॉक्स में से ही एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे साफ पानी से धुलवा उसमें पानी के केम्पर से ही साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कराया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त मैहरून रंग की जैकेट की बायीं जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण हल्का गुलाबी हो गया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की शिशियों को मार्क क्रमशः J-1 व J-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् उक्त मैहरून रंग की जैकेट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क 'J' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियांे से पाया गया कि आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा हाल इलेक्ट्रीशीयन (द्वितीय), कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री शांतिलाल जाट द्वारा प्रस्तुत कृषि विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की एवज में दिनांक 03.01.2024 व दिनांक 04.01.2024 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री शांतिलाल पिता स्व. श्री बद्रीलाल जाट निवासी लापस्या तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करने हेतु सहमत होना तथा मांग अनुसार दिनांक 08.01.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रिश्वत राशि 2000/- रूपये प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत राशि 2000/-रूपये आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा हाल इलेक्ट्रीशीयन (द्वितीय) द्वारा प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर अपने पहनी हुई मैहरून रंग की जैकेट की बायीं जेब में रखना व आरोपी अशोक कुमार शर्मा की पहनी हुई उक्त मैहरून रंग की जैकेट की बायीं जेब से रिश्वत राशि 2000/-रूपये बरामद होना तथा उक्त आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा परिवादी श्री शांतिलाल से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना व उक्त आरोपी श्री अशोक कुमार के पहनी हुई मैहरून रंग की जैकेट की बायीं जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग भी हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र जी शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 40 साल निवासी जुणदा खेडी पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमन्द हाल निवास मेला ग्राउंड के पास, रेलमगरा हाल इलेक्ट्रीशियन (द्वितीय), कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रेलमगरा जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रमाणित पाया गया है। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि नोट एवं हाथ धुलाई फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.50 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शान्तिलाल की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर पृथक से फर्द निरीक्षण घटनास्थल मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ततश्चात परिवादी श्री शान्तिलाल को उसकी निजी मोटर साईकिल से ब्यूरो कार्यालय पहुंचने की मुनासिब हिदायत करते हुए राजसमन्द के लिए रवाना किया। समय 04.35 पी.एम पर ब्यूरो जाब्ता हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण 117, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं. 162, श्री भंवरदान कानि. नं. 414, श्री किशनाराम कानि. नम्बर 404, स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश चन्द्र सहायक विकास अधिकारी को मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री ललित राजवानी कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 मय आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय मालखाना आर्टीकल्स, जप्त शुदा रिश्वत राशि मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 मय चालक श्री मनोज कुमार कानि0 नं0 23 मय आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा के एसीबी कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना हो समय करीबन 05.35 पी.एम पर एसीबी कार्यालय राजसमन्द पहूंचे जहां पर परिवादी श्री शान्तिलाल ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित मिला। समय 05.45 पी.एम पर परिवादी श्री शान्तिलाल व आरोपी अशोक कुमार शर्मा के मध्य दिनांक 03.01.2024 को हुई रिश्वत मांग सम्बन्धी रूबरू वार्तालाप, परिवादी श्री शान्तिलाल के मोबाईल नम्बर 9799122036 व आरोपी अशोक कुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर 7665330090 के मध्य दिनांक 03.01.2024 को हुई मोबाईल वार्ता प्रथम, परिवादी श्री शान्तिलाल के मोबाईल नम्बर 9799122036 व आरोपी अशोक कुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर 7665330090 के मध्य दिनांक 04.01.2024 को हुई

मोबाईल वार्ता द्वितीय, परिवादी श्री शान्तिलाल व आरोपी अशोक कुमार शर्मा के मध्य दिनांक 04.01.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप, परिवादी श्री शान्तिलाल व आरोपी अशोक कुमार शर्मा के मध्य दिनांक 08.01.2024 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई । उक्त वार्ताओं की अलग-अलग फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की जाकर अलग-अलग मूल सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में अलग-अलग सिलचिट की गई। मुर्तिबशुदा फर्द ट्रांसक्रिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ताओं में परिवादी एवं आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज होने की पुष्टि की तथा श्री चेतन शर्मा सहायक अभियंता ने उक्त वार्ताओ में एक आवाज श्री अशोक कुमार शर्मा की होने की पुष्टि की। समय 10.10 पी.एम. पर आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा हाल इलेक्ट्रीशियन (द्वितीय) कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रेलमगरा जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने से आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र जी शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 40 साल निवासी जुणदा खेडी पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमन्द हाल निवास मेला ग्राउंड के पास, रेलमगरा हाल इलेक्ट्रीशियन (द्वितीय) कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रेलमगरा जिला राजसमन्द को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी, फर्द मोबाईल जप्ती, फर्द मेमोरी कार्ड एवं फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियांे से पाया गया कि आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा हाल इलेक्ट्रीशीयन (द्वितीय), कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री शांतिलाल जाट द्वारा प्रस्तुत कृषि विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की एवज में दिनांक 03.01.2024 व दिनंाक 04.01.2024 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री शांतिलाल पिता स्व. श्री बद्रीलाल जाट निवासी लापस्या तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करने हेतु सहमत होना तथा मांग अनुसार दिनांक 08.01.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रिश्वत राशि 2000/- रूपये प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत राशि 2000/-रूपये आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा हाल इलेक्ट्रीशीयन (द्वितीय) द्वारा प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर अपने पहनी हुई मैहरून रंग की जैकेट की बायीं जेब में रखना व आरोपी अशोक कुमार शर्मा की पहनी हुई उक्त मैहरून रंग की जैकेट की बायीं जेब से रिश्वत राशि 2000/-रूपये बरामद होना तथा उक्त आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा परिवादी श्री शांतिलाल से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना व उक्त आरोपी श्री अशोक कुमार के पहनी हुई मैहरून रंग की जैकेट की बायीं जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग भी हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र जी शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 40 साल निवासी जुणदा खेडी पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमन्द हाल निवास मेला ग्राउंड के पास, रेलमगरा हाल इलेक्ट्रीशियन (द्वितीय), कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रेलमगरा जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(मंशाराम)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यो से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री जगदीश चन्द्र, इलेक्ट्रीशियन (द्वितीय), कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रेलमगरा, जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 06/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री रतन सिंह पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.उदयपुर को सुपुर्द कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान

जारी है। उपरोक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा आम में रपट नम्बर 135 दिनांक 9.1.2024 अंकित की गई है

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 22-25 दिनांक 9.01.2024

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3.अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजसमंद।
4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ratan Singh Rajpurohit **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/01/2024 19:40:51

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)